प्रेषक,

महानिरीक्षक निबंधन,

उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबंधन,

उत्तर प्रदेश।

संख्या / 849/शि0का0लख0/2000 दिनांक फरवरी 26, 2000

विषय- फोटो स्टेट नियमावली 1999 के प्रभावी होने से पूर्व प्रस्तुत विलेखों की वापसी

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जनपद हरदोई व आगरा में शासन के द्वारा विलेखों की वापसी दिन-प्रतिदिन किये जाने के आदेश के बावजूद काफी बड़ी मात्रा में विलेख रजिस्ट्री करके वापस नही किए गए है जिसका कारण यह बताया गया है कि फोटोस्टेट नियमावली 1989 के प्रभावी होने से पहले इन विलेखों का प्रस्तुततिकरण हुआ था जिनको संबंधित जिल्दों में प्रतिलिपित नही किया गया है और इसी कारण से इनकी वापसी नही हो सकी है।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 52 के अनुसार विलेखों की रजिस्ट्री वर्षवार -क्रमानुसार की जायेगी। ऐसी स्थिति में फोटों स्टेट नियमावली के अधीन रजिस्ट्री किए जाने वाले विलेखों से पूर्व प्रस्तुत विलेखों का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण करके वापस किया जाना आवश्यक था जो नही किया गया। बाद मे प्रस्तुत विलेखों को पहले रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया किन्तु पहले प्रस्तुत विलेखों की रजिस्ट्री न किया जाना उप-निबंधक की लापरवाही एवं उनके अल्प ज्ञान का द्योतक है जो किसी भी दशा में क्षम्य नही है। संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी ने इस अनियमितता को नही देखा है और इसके संबंध में अपने अधीनस्थों का सही मार्गदर्शन नही किया है । इससे पक्षकारों को परेशानी उठानी पड़ रही है और विभाग की बदनामी भी हुई है

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद में सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्तानुसार ऐसी स्थिति किसी रजिस्ट्री कार्यालय में तो नही है। यदि उक्त प्रकार के विलेख किसी रजिस्ट्री कार्यालय में लम्बित हों तो प्रत्येक दशा में 15 मार्च तक उन्हे

रजिस्ट्री कराके पक्षकारों को वापस करा दिया जाये एवं 16 मार्च 2000 की बैठक में इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य लाये कि आपके जनपद में किसी रजिस्ट्री कार्यालय में फोटो स्टेट नियमावली के लागू होने के पूर्व में प्रस्तुत कोई विलेख किसी रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री हेतु एवं वापसी हेतु अवशेष नही रह गये है । आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

भवदीय

बी0एम0मीना
महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
शिविर- लखनऊ

संख्या 849(1)/ शि0का0लख0/2000 दिनांकः फरवरी 26, 2000

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह०/-
बी0एम0मीना
महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश
शिविर- लखनऊ।